भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2501

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य

2501 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या गरीब समुदायों को विवादों के निवारण के लिए न्याय मित्र के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो तमिलनाडु में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहें उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु के जिला-न्यायालयों में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या देश के विभिन्न जिला न्यायालयों में लगभग 100 न्याय मित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है; और

(च) यदि हाँ, तो विशेष रूप से तमिलनाडु में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्याय मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में दशक पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है । न्याय मित्र पुराने मामलों के निपटान में सहायता करते है, जिनके अंतर्गत वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले और इसमें अंतर्वलित पक्षों/समुदायों का ध्यान किए बिना दांडिक मामले भी हैं ।

(घ) से (च) : 2017 में, न्याय मित्र कार्यकम के आरंभ से, कुल 27 न्यायमित्रों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, ओड़िशा और महाराष्ट्र राज्यों के विभिन्न न्यायालयों में लगाया गया था । वर्ष 2020-2021 के दौरान न्यायालयों के बंद होने और कोविड महामारी द्वारा कारित सामाजिक दूरी प्रोटोकाल के कारण किसी भी न्याय मित्र को नहीं लगाया जा सका । चालू वर्ष सहित अबतक तमिलनाडु में किसी भी न्याय मित्र को नहीं लगाया गया है ।

****